DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Monday, 06th August, 2007/ Sravana 15th, 1929 (Saka)

No. 215

Sub: <u>DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS</u>

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, Distt. New Delhi

"I have the honour to inform you that Dr. Jadish Mukhi, Dr Harshvardhan, Shri Sahab Singh Chauhan and Shri Ramesh Bidhuri Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act from P.S Parliament Street at 1410 hrs. on 5.8.2007.

They were released at 1415 hrs. from the same place on the same date."

Siddharath Rao Secretary

दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार , 06 अगस्त 2007/ श्रावण 15, 1929 (शक)

संख्या- 215

विषय: सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को संबोधित, पुलिस उपायुक्त, जिला नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि डा0 जगदीश मुखी, डा0 हर्ष वर्धन, श्री साहब सिंह चौहान एवं श्री रमेश बिधूड़ी, माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा को दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत थाना संसद मार्ग से दिनांक 05.08.2007 को दोपहर 1410 बजे गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन दोपहर 1415 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव सचिव